(11)
दो वर्ष का अनुभव रखते हैं। (iii) चिकित्सीय दृष्टि से शेप-1 प्रवर्ग में होना चाहिए। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
महालेखा नियंत्रक के संवर्ग में पद 1 महालेखा नियंत्रक के अन्य संगठनों से स्थानांतरण के आधार पर भरा जाना है।	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-5/2010-एन.डी.आर.एफ.]

देव कुमार, निर्देशक (आ.प्र.-1)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2011

G.S.R. 765(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) read with clause (f) of sub-section 2 of Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 read with rule 3 of the National Disaster Response Force Rules, 2008, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial, posts in the National Disaster Response Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Disaster Response Force, Group 'B', Gazetted, Non-Combatised Posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification, and the pay band and grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the abovesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, Other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Accounts Officer	01 *(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	PB-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation	Personnel from Organized Accounts department :— (i) holding analogous posts on a regular basis with two years experience in the relevant field. (ii) Accountant or Upper division clerk with five years regular service in pay band 2 Rs. 9300-34800 plus Grade pay 4200 and two years experience in accounts. (iii) should be in Medical Category SHAPE-1. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cader post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily for three years extendable up to 5 years. **Note 2 :** The upper age limit for appointment or deputation shall not be exceeding fifty two years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
In cadre post of Controller General of Accounts. To be filled by transfer from other organisation of Controller General of Accounts.	Not applicable

[F. No. 1-5/2010-NDRF]

DEV KUMAR, Director (DM-I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 766(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 3) की धारा 75 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियम, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में समूह 'ख', अराजपत्रित योद्धक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल समूह 'ख' और समूह 'ग' अराजपत्रित, योद्धक पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (संचार)	1* (एक) (2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. + 4600 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

38-905 /11-4